on 25.11.2023

on Original Application No. 840/2022 in National Green Tribunal:

आगरा से गुजरने वाली यमुना में व्याप्त गंदगी व पानी की कमी और उससे उत्पन्न अनेक समस्याओं के ध्यानाकर्षण हेतु एक याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में फ़ाइल की गई थी और उसके लिए कोर्ट से प्रार्थना की थी कि 1. रिवर बेसिन को डिसिल्टिंग या ड्रेजिंग के ज़रिए रेस्टोर करें व गहराई को पुनर्स्थापित करें 2. जो नाले अभी भी यमुना में सीधे गिर रहे हैं उनको भी STP से जोड़ा जाए। 3. यमुना में 25 साल से पेंडिंग बराज योजना को शीघ्र कार्यान्वित हेतु शासन को डायरेक्शन दिया जाए। इसपर बहस के बाद माननीय ट्रिब्यूनल ने निम्न आदेश पारित किया है।

(para 6 of order): एक जॉइंट कमेटी गठित की जाती है जिसमे मुख्य सचिव एनवायरनमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट UP, CPCB, नेशनल मिशन फ़ॉर क्लीन गंगा व UP पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड के अफसर होंगे। ये कमेटी आगरा के कुल सीवेज जनरेशन की मात्रा, अभी की सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी और एक्चुअल में STP की कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है और नालों से अभी भी बिना ट्रीटमेंट के कितना सीवेज गिर रहा है, इसकी 3 महीने में रिपोर्ट देगी! इसके अलावा कमेटी यमुना के अलग अलग स्थान पर पानी की क्वालिटी की जांच रिपोर्ट भी देगी व यमुना में डिस्चार्ज रोकने के स्टेप्स का ब्यौरा भी देगी। स्टेट PCB इसके कंप्लाइन्स को नोडल एजेंसी का काम करेगी!

यह याचिका डॉ संजय कुलश्रेष्ठ ने दायर की है जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं व इस याचिका में खुद ही बहस करके तथ्य रखे थे! कोर्ट से उन्होंने दोतीन मुख्य बिंदु का ज़िक्र किया था कि हरसाल पानी में ऑक्सिजन का लेवल अत्यधिक कम होने से हज़ारों मछलियां व जलीय जीवजंतु मरते हैं और ताजमहल के आसपास एक विशेष प्रकार के कीड़े (गोल्डकोराईमस) पनपते है जोकि ताजमहल पे अपनी गंदगी से हरे धब्बे छोड़ रहे हैं! ये धब्बे भी मछलियों के मरनेसे जुड़े है क्योंकि आमतौर ये मछली इन कीड़ों के लार्वा को खाकर इनको पनपने से रौकतीं हैं! और इन दोनों ही समस्या के मूल में पानी की कमी व सीवर के सीधे गिरना है! हालांकि कोर्ट ने कहा था कि हम पहले ही कई आर्डर यमुना वाले शहरों के सफाई को दे चुके हैं फिर इसमें क्या और कर सकते हैं! तो इसके जवाब में डॉ कुलश्रेष्ठ ने कोर्ट के संज्ञान में ये तथ्य रखे कि आगरा की यमुना की समस्या दिल्ली व मथुरा से भिन्न है! पहले पड़ने वाले इन दोनों शहरों के डाउनस्ट्रीम में क्रमशः ओखला व गोकुल बराज हैं जिससे वहां हर समय पानी की मात्रा रहती है जबकि आगरा के बाद कोई बराज नहीं है जिससे बरसात के अलावा पूरे साल लगभग 'जीरो फ्लो ऑफ वाटर' रहता है और जोभी फ्लो दिखता है वह सीवर/नालों का वेस्ट होता है। इस सीवेज की वजह से मल जनित कॉलिफोर्म बैक्टेरिया की संख्या अत्यधिक हो गई है! मानक के हिसाब से ये 5000 होनी चाहिए जो कि तीस हजार से 1 लाख पाई गई है, जिसकी वजह से यमुना का पानी शोधन के बावजूद भी पीने योग्य नहीं है जिसका सरकारी नियम है! तो आज आगरावासी की हालत ये हो गई है कि शानदार नदी के बावजूद भी गंगा के पानी पे निर्भर हो गए है या बेतहाशा ग्राउंड वाटर का दोहन हो रहा है जिससे आगरा में हरसाल जलस्तर 1 मीटर नीचे जा रहा है! साथ ही सीवर गिरने से नदी का स्तर भी हर साल बढ़ रहा है तो कभी अत्यधिक बारिश में पानी उल्टा शहर में घुस सकता है! इसके अलावा उन्होंने यमुना की दयनीय हालत के हाल के फोटो व लगातार अखबारों में छपने वाली खबरों का ब्यौरा भी कोर्ट को दिखाया! इन सबका संज्ञान व आर्गुमेंट के बाद कोर्ट ने आर्डर पास कर दिया! विगत में 7 साल पहले NGT ने डॉ संजय कुलश्रेष्ठ की याचिका पर ही पूरे भारत में पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों पर बैन लगाया था!

amarujala agra 27.11.22

चिकित्सा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। शिविर सुबह 10 बजे से 03 बजे दिन तक चलेगा।

के चेयरमैन लाल सिंह राघव, डॉ. कल्पना सिंह, डॉ. भानु प्रताप सिंह, चंद्रभान तोमर मौजूद रहे। संवाद

पांडे, शिक्षिका हिमानी बुंदेला, स्पेशल एजुकेटर प्रतिमा सिंह ने किया। संवाद

कवायद — चिकित्सक डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ ने यमुना को गहरा किए जाने के लिए दायर की थी याचिका

यमुना की डी-सिल्टिंग के लिए बनाई कमेटी

माई सिटी रिपोर्टर

आगरा। यमुना नदी में ट्रीटमेंट के बिना गिर रहे 61 नालों से सीवर को रोकने, यमुना नदी को डी-सिल्टिंग कर गहरा करने की याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दायर की गई है। ताजनगरी के प्रमुख चिकित्सक डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ की दायर याचिका पर एनजीटी ने सुनवाई करते हुए तीन महीने में प्रमुख सचिव पर्यावरण से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। डी-सिल्टिंग, प्रदूषण रोकने और सीवर ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन किया है, जो तीन माह में अपनी रिपोर्ट एनजीटी के सामने पेश करेगी। एक मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी।

पर्यावरण को सुधारने के लिए डीजल और पेट्रोल वाहनों के पुराने इंजन को अपनी याचिका से रुकवाने वाले डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ ने यमुना प्रदूषण पर एनजीटी में याचिका दायर की। उन्होंने याचिका में यमुना में प्रदूषण, पानी की कमी और उसके कारण हो रही समस्याओं को उठाया है। यमुना की डी-सिल्टिंग, गहरा किए जाने की प्रार्थना की। एनजीटी बेंच में जस्टिस सुधीर अग्रवाल और एक्सपर्ट मेंबर जस्टिस प्रो. सेंथिल वेल ने याचिका की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि प्रमुख सचिव पर्यावरण की अध्यक्षता में संयुक्त कमेटी गठित की जाए, जिसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (नमामि गंगे), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी होंगे। यमुना नदी में अलग अलग जगह पर पानी की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट यह कमेटी देगी।

याचिकाकर्ता ने बताया कि ताजमहल पर हरे रंग के दाग गोल्डीकाइरोनोमस कीड़ों के कारण पड़ रहे हैं। एनजीटी के सामने यह तथ्य और फोटो रखे गए। कहा कि यमुना में कॉलीफार्म की मात्रा मानक से 40 गुना से ज्यादा है, जो खतरनाक है। इससे नदी का पूरा इको सिस्टम खराब हो रहा है।

टीटीजेड अथॉरिटी को भेजे सुझाव

सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य रमन ने ताज ट्रिपेजियम जोन अथॉरिटी के चेयरमैन मंडलायुक्त अमित गुप्ता को प्राधिकरण में सुधार के लिए सुझाव भेजे हैं। रमन ने अपने पत्र में लिखा है कि शहर की वायु और जल प्रदूषण की स्थिति में 1983 से कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि अथॉरिटी को पूरे अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीटीजेड में रहने वाले लोगों की सेहत सुधारने के उपाय किए जाएं। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञों और सिविल सोसायटी के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए जो शहर में पर्यावरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कूड़ा निस्तारण, भूगर्भ जल प्रदूषण की समीक्षा करे। इस स्थिति के कारणों का अध्ययन करे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन न होने के कारणों को स्टडी रिपोर्ट में बताए।

यमुना प्रदूषण पर एनजीटी ने तीन माह में मांगी रिपोर्ट

- जांच समिति में संबंधित प्रमुख सचिवों को भी शामिल करने को कहा
- विधिरक्षक डा. संजय कुलश्रेष्ठ ने याचिका दायर कर स्वयं की पैरवी

जासं, आगरा: आगरा में यमुना प्रदूषण का मामला अलग है। दिल्ली और मथुरा में डाउन स्ट्रीम में बैराज हैं। आगरा में ऐसा नहीं है। शहर के नाले सीधे यमुना नदी में गिर रहे हैं। आगरा के पीडियाट्रिक सर्जन डा. संजय कुलश्रेष्ठ ने अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष उक्त बातें कहीं। वे अपनी याचिका पर खुद ही पैरवी कर रहे हैं। एनजीटी ने यमुना प्रदूषण की स्थिति पर जांच समिति गठित करने और तीन माह में रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए।

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य प्रो. ए. सेंथिल वेल की बेंच ने याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई की थी। डा. संजय कुलश्रेष्ठ ने मांग की कि आगरा में यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या तो पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं या फिर वह पर्याप्त नहीं हैं। जिम्मेदार विभाग नदी को साफ रखने के लिए कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। यमुना में आक्सीजन का स्तर बहुत कम होने की वजह से जलीय जीवों के साथ ही बड़ी संख्या में मछलियां पिछले वर्षों में दम तोड़ती रही हैं। इसके सुधार को नदी में डिसिल्टिंग या ड्रेजिंग कर उसे रिस्टोर किया जाना चाहिए। जो नाले सीधे यमुना में गिर रहे हैं, उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से जोड़ा जाए। बैराज का निर्माण शीघ्र शुरू हो। इस पर बेंच ने जांच समिति में पर्यावरण व शहरी विकास, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नमामि गंगे के प्रमुख सचिवों को शामिल करने को कहा। समिति को आगरा में उत्पन्न हो रहे सीवेज की मात्रा, एसटीपी की क्षमता और वास्तव में उसके उपयोग, नालों से बिना शोधन के यमुना में गिर रहे सीवेज की स्थिति पर तीन माह में रिपोर्ट देनी होगी।

यमुना नदी में पसरी गंदगी ● जागरण आर्काइव

ताजमहल के समीप नाला बन गई है नदी: याचिका में कहा गया है कि ताजमहल के समीप यमुना नाले में तब्दील हो चुकी है। डिसिल्टिंग व ड्रेजिंग नहीं किए जाने से नदी की तलहटी उथली हो गई है। उसमें अशोधित पानी जाने से सिल्ट, सीवेज, पालीथिन व प्लास्टिक एकत्र हो गई है, जिससे जलीय जीवों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। यमुना की गंदगी में पनपा कीड़ा गोल्डीकाइरोनोमस ताजमहल की सतह पर दाग छोड़ रहा है। मानकों के अनुसार टोटल कालिफार्म (मानव व जीव अवशिष्ट) की मात्रा पांच हजार मोस्ट प्रोबेबल नंबर होनी चाहिए, लेकिन यह 25 हजार से लेकर एक लाख तक पहुंच गया है, जो उसमें सीवेज की स्थिति को बयां करता है।

ताज की नींव को चाहिए पानी

याचिका में ताजमहल की सलामती के लिए भी यमुना में स्वच्छ पानी की आवश्यकता बताई गई है। कहा गया है कि ताजमहल की नींव कुओं और साल की लकड़ी पर टिकी है। साल की लकड़ी को नमी की आवश्यकता होती है। यमुना में पानी नहीं होने से साल की लकड़ी को नमी नहीं मिल पा रही है।

286 एमएलडी सीवेज यमुना में जा रहा

याचिका में आगरा के अधिकांश नालों के यमुना में सीधे गिरने की बात कही गई है। यमुना में 286 एमएलडी अशोधित पानी और सीवेज जा रहा है। आठ एसटीपी हैं, लेकिन वह सफेद हाथी बने हुए हैं। एसटीपी को अपडेट करने की आवश्यकता है।

भूगर्भ जल पर संकट

याचिका में कहा गया है कि यमुना के प्रदूषित होने की वजह से आगरा में भूगर्भ जल का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। भूगर्भ विभाग की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार यहां 1.8 लाख सबमर्सिबल पंप हैं। प्रतिवर्ष भूगर्भ जल के स्तर में एक मीटर तक की गिरावट आ रही है।

jagrann agra 28.11.22

www.jagran.com

ताजमहल के डाउन स्ट्रीम में सर्वाधिक प्रदूषित यमुना

- यूपीपीसीबी द्वारा लिए गए सैंपल से सामने आई स्थिति
- शहर में गिरते नालों से अधिक प्रदूषित हो रही है नदी

जागरण संवाददाता, आगरा: शहर में यमुना नदी ताजमहल के डाउन स्ट्रीम में सबसे अधिक प्रदूषित है। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा हर माह लिए जाने वाले पानी के नमूनों की जांच में ये जानकारी सामने आई है। यमुना नदी में नाले सीधे गिर रहे हैं। यमुना जल में सीवेज मानकों से कहीं अधिक होना ये दर्शाता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) अपर्याप्त हैं या ये मानकों के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने डा. संजय कुलश्रेष्ठ की याचिका पर तीन माह में यमुना नदी में प्रदूषण की स्थिति पर रिपोर्ट के साथ ही सुधार के लिए प्लान मांगा है। यूपीपीसीबी द्वारा माह में दो बार शहर में तीन स्थानों पर यमुना जल के नमूने लेकर परीक्षण किया जाता है। अप स्ट्रीम में कैलाश घाट, वाटर वर्क्स और डाउन स्ट्रीम में ताजमहल के पास से नमूना लिया जाता है। यूपीपीसीबी द्वारा 11 नवंबर को कैलाश घाट व ताजमहल पर लिए गए नमूनों की रिपोर्ट को देखें तो उसमें बायो आक्सीजन डिमांड और टोटल कालिफार्म (मानव व जीव अवशिष्ट) मानक से कहीं अधिक रहे। यही स्थिति जनवरी से अक्टूबर तक कैलाश घाट, वाटर वर्क्स व ताजमहल पर लिए गए नमूनों के औसत की भी है।

टोटल कालिफार्म मानक से कहीं अधिक होने से नदी में सीवर बहाए जाने की कलई खुल रही है। पर्यावरण कार्यकर्ता डा. शरद गुप्ता कहते हैं कि एसटीपी मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। नदी में सीधे गिर रहे नाले टैप नहीं होने से सीवेज यमुना में जा रहा है। इसे रोकने की जरूरत आवश्यक है।

मानक

डीओ: पीने के पानी में छह, नहाने के पानी में पांच और शोधन के बाद चार मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

बीओडी: पीने के पानी में दो, नहाने के पानी में तीन और शोधन के बाद पानी में तीन मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टोटल कालिफार्म: पीने के पानी में 50, नहाने के पानी में 500 और शोधन के बाद 100 मिली लीटर में पांच हजार मोस्ट प्रोबेबल नंबर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जनवरी से अक्टूबर यमुना जल में प्रदूषण का औसत

जगह	पीएच	डीओ	बीओडी	सीओडी	टोटल कालिफार्म	फीकल कालिफार्म
कैलाश घाट	7.43	6.6	8.6	17.6	19400	11200
वाटर वर्क्स	7.64	6.3	9.6	22	28100	16200
ताजमहल	7.84	5.8	10.9	26	57000	27800

11 नवंबर को लिए गए यमुना जल के नमूनों की स्थिति

जगह	डीओ	बीओडी	सीओडी	टोटल कालिफार्म	फीकल कालिफार्म
कैलाश घाट	8.6	7.6	16	12000	6800
ताजमहल	7.2	9.2	20	38000	21000

jagrann agra 28.11.22

सख्ती: एनजीटी ने यमुना में गंदगी रोकने को प्लान मांगा

- 3 माह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी कमेटी

आगरा, मुख्य संवाददाता। यमुना की गंदगी को लेकर सख्त एनजीटी ने गंदगी को रोकने के लिए विभिन्न विभागों की टीम बनाकर तीन माह में रिपोर्ट देने और पूरा प्लान बनाकर देने के निर्देश दिए हैं। टीम मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच करेगी। एनजीटी कोर्ट ने ये आदेश पीडियाट्रिक सर्जन डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ की याचिका पर दिए हैं।

डॉ. कुलश्रेष्ठ ने याचिका दायर कर स्वयं ही बहस की। याचिका में कहा गया कि हर साल पानी में ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक कम होने से हजारों मछलियां व जलीय जीव मरते हैं। ताजमहल के आसपास एक विशेष प्रकार के कीड़े (गोल्डी काइरोनोमस) पनपते हैं, जोकि ताजमहल पर अपनी गंदगी से हरे धब्बे छोड़ रहे हैं। इन दोनों ही समस्या के मूल में पानी की कमी व सीवर का सीधे गिरना है। इस पर कोर्ट ने कहा, हम पहले ही यमुना वाले शहरों की सफाई के लिए आदेश दे चुके हैं। फिर इसमें और क्या कर सकते हैं।

इसके जवाब में डॉ. कुलश्रेष्ठ ने कहा कि आगरा की यमुना की समस्या दिल्ली व मथुरा से भिन्न है। पहले पड़ने वाले इन दोनों शहरों के डाउनस्ट्रीम में ओखला व गोकुल बैराज हैं, जिससे वहां हर समय पानी की मात्रा रहती है, जबकि आगरा के बाद कोई बैराज नहीं है। जिससे बरसात के अलावा पूरे साल लगभग जीरो फ्लो ऑफ वाटर रहता है।

> खाका खींचेगी कमेटी P04

hindustanagra 27.11.22

यमुना सफाई का खाका खींचेगी कमेटी

याचिका के माध्यम से ये किया था अनुरोध

- रिवर बेसिन को डिसिल्टिंग या ड्रेजिंग के जरिए रिस्टोर करें व गहराई को पुनर्स्थापित करें
- जो नाले अभी भी यमुना में सीधे गिर रहे हैं उनको भी एसटीपी से जोड़ा जाए
- यमुना में 25 साल से पेंडिंग बैराज योजना को शीघ्र क्रियान्वित कराने को शासन को निर्देश दिए जाएं

आगरा, मुख्य संवाददाता। यमुना में गंदगी को लेकर एनजीटी कोर्ट में दायर याचिका में पीडियाट्रिक सर्जन डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ ने खुद बहस करते हुए कहा कि सीवेज की वजह से मलजनित कॉलिफोर्म बैक्टीरिया की संख्या अत्यधिक हो गई है। मानक के हिसाब से ये 5000 होनी चाहिए जो कि तीस हजार से एक लाख पाई गई है। इसकी वजह से यमुना का पानी शोधन के बावजूद पीने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि भूमिगत पानी का ज्यादा दोहन हो रहा है जिससे आगरा में हर साल जलस्तर एक मीटर नीचे जा रहा है।

याचिका पर हुई बहस के बाद एनजीटी ने आदेश दिए कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। कमेटी में पर्यावरण, नमामि गंगे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को रखा जाए। आदेश में कहा गया कि ये कमेटी आगरा के कुल सीवेज जनरेशन की मात्रा, अभी की सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता और वास्तव में एसटीपी की कितनी क्षमता इस्तेमाल हो रही है और नालों से अभी भी बिना ट्रीटमेंट के कितना सीवेज गिर रहा है। इसकी तीन महीने में रिपोर्ट दे। इसके अलावा कमेटी यमुना के अलग-अलग स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट भी दे। साथ ही यमुना में डिस्चार्ज रोकने के स्टेप्स का ब्योरा भी दे।

hindustan agra 27.11.22

on Next Date on 11th April, 2023

सरकार की कमिटी ने माना की आगरा का 43% सीवर आज भी बिना ट्रीटमेंट के यमुना में सीधा जा रहा है!

• कोट नेसंज्ञान लिया व्र हैरानी जताई की 2014 के बाद कोई नया एसटीपी नहीं लगा और न सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल या तत्परता नहीं दि खाई दीहै!

आगरा की यमुना केउद्धार को NGT डाली गई याचिका में सुनवाई करतेहुए उसके चेयरमैन जस्टिस ak गोयल ने काफी सख्त टिपण्णी करी सुनवाई के दौरान

Points of NGT order:

"3. In pursuance of above, the State PCB has filed its report dated 24.02.2023, acknowledging discharge of 131 MLD of untreated sewage in Yamuna river and failure of the Authorities to take necessary remedial action. Relevant extracts from report are:-
"Status of Sewage Generation, Collection and Treatment:
Considering the water demand of 441MLD including wastage of water, sewage generation as per the population is estimated about 306 MLD. As per information provided by UP Jal Nigam (Urban), the details are as follows:
Table-1
Total Sewage Generation 306 MLD
Installed Treatment Capacity 220.75 MLD
Utilization Treatment Capacity 175 MLD
Sewage being discharged to River Yamuna 131 MLD (43.00%)
From the above data, it is clear that sewerage system and sewage treatment facilities are not sufficient in the city. At presently 131 MLD sewage is being discharged into river Yamuna. However, out of 131 MLD sewage, 28.62 MLD sewage is being treated through bioremediation and discharged into river Yamuna.
4. It is clear from the above, that there are huge gaps and deficiencies in sewage management in such important city as Agra. Some of the major deficiencies are:-
i. Out of 91 drains in Agra, 21 drains (58.25 MLD flow) are tapped, 8 drains are partially tapped (210.82 MLD) and 61 drains (16.93 MLD) remain untapped and thus untreated effluent goes to river Yamuna. 286 MLD of sewage flows into drains and only 58.25 MLD is tapped. No information is actually furnished about sewage received through sewage network and by interception of drains.
ii. There appear to be no urgency for providing STPs. No STP appears to have been set up after the year 2014.
iii. As per Table 2 in the report 9 STPs have installed capacity of 220.75 MLD but utilization capacity is only 175 MLD.
iv. Treated sewage is still being discharged into Yamuna instead of its utilization.
v. 90.25 MLD of sewage treated in 3 STPs does not conform to feacal coliform standards.
vi. There is no fixed timeline for setting up of 3 STPs and DSTPs at 10 locations.
6. The Tribunal, on detailed consideration of the matter, held that gaps in generation and treatment of solid and liquid waste are required to be addressed expeditiously considering timelines as per statutory Rules and Supreme Court judgement and officers responsible for failure were required to be made accountable. Progress report was to be filed after six months to this Tribunal.
7. In the light of the said order and observations in the present case, the Chief Secretary, U.P, in coordination with other concerned authorities in the State, may ensure remedial action in the present case also for which a special meeting of concerned officers be convened preferably within one month to inter alia consider that all the existing 9 STPs are fully utilized and comply with standards and treated effluents are utilized for secondary purposes with defined sources/ command area, untapped, partially tapped drains be intercepted and diverted to STPs, performance of in-situ projects is evaluated, fortnightly monitoring of existing treatment of waste water with reference to consent conditions takes place. An action taken report be filed within four months.
8. On the pattern of order dated 11.04.2023 in OA No. 773/2022, Rajesh Pareek vs. State of Uttar Pradesh, CPCB may to file a report relating to chlorination, fertiirrigation, performance of STPs and in-situ remediation projects at Agra also.
List for further consideration on 23.08.2023.
A copy of this order be forwarded to the Chief Secretary, U.P, CPCB, State PCB, District Magistrate and Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority, Agra for compliance.
Adarsh Kumar Goel, CP, Sudhir Agarwal, JM, Dr. A. Senthil Vel, EM, Dr. Afroz Ahmad, EM, April 11, 2023, Original Application No. 840/2022

यमुना प्रदूषण पर मुख्य सचिव करें निगरानी : एनजीटी

सख्ती

- मथुरा और आगरा में यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर दिया आदेश
- अनुपचारित सीवेज यमुना में डालने का है आरोप

जागरण टीम, आगरा: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मथुरा और आगरा में यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को सुनवाई करते हुए एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को सुधारात्मक कार्रवाई पर निगरानी के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान यमुना में अनुपचारित सीवेज डाल रहे है और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं।

आगरा निवासी संजय कुलश्रेष्ठ की याचिका पर सुनवाई करते हुए चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की पीठ ने ट्रिब्यूनल के पहले के आदेशों के अनुसरण में कहा कि मथुरा और आगरा में आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने में अधिकारी विफल रहे हैं। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल और अफरोज अहमद की टीम ने इस संबंध में पूर्व में जो रिपोर्ट दी है उसमें आगरा में सीवेज प्रबंधन में भारी कमियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार, मथुरा में तीन अप्रयुक्त या आंशिक रूप से टैप किए गए नाले थे, जबकि वृंदावन में 13 नालों में से दो अभी भी अप्रयुक्त हैं।

आगरा में सीवेज प्रबंधन के संबंध में पीठ ने कहा कि नालों में बहने वाले 286 एमएलडी सीवेज में से केवल 58.25 एमएलडी का शोधन किया गया। सीवेज नेटवर्क में अपशिष्ट जल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। एनजीटी ने राज्य के मुख्य सचिव को एक माह के भीतर संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर दोनों शहरों में उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चार महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय की है। इस मामले में याचिकाकर्ता संजय कुलश्रेष्ठ ने 2022 में याचिका दायर की थी।

jagran agra 12.4.23

न्यायालय में तर्क किया गया था। संवाद

किया। यहां तक कि तफ्तीश के दौरान कोर्ट

यमुना को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में प्रशासन नाकाम : एनजीटी

नई दिल्ली। एनजीटी ने यमुना को साफ करने की दिशा में प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर असंतोष जताया है। एनजीटी की एक बेंच ने आगरा में सीवेज प्रबंधन में भारी लापरवाही की ओर इंगित किया है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस सुधीर अग्रवाल की बेंच ने 11अप्रैल, 2023 को प्रदूषण प्रबंधन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उपचारित सीवेज का उपयोग करने के बजाय यमुना में गंदा पानी बहाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की ओर से 24 फरवरी 2023 को सौंपी गई रिपोर्ट में यमुना नदी में प्रतिदिन 131 मिलियन लीटर (एमएलडी) अनुपचारित सीवेज का निर्वहन और आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने में अधिकारियों की विफलता को स्वीकार किया है। एनजीटी ने कहा कि यूपीपीसीबी की ओर से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अफसरों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तैयार करने में कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रतीत होता है कि वर्ष 2014 के बाद कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार ही नहीं किया गया। ब्यूरो

एक माह में बैठक

एनजीटी ने यूपी के मुख्य सचिव को अधिकारियों के साथ मिलकर उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि आगरा में सभी मौजूदा 9 एसटीपी का उपयोग होता है अथवा नहीं और मानकों का पालन किया जाता है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए एक माह के अंदर अधिकारियों की बैठक बुलाएं। साथ ही चार माह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सीपीसबी को क्लोरीनीकरण, उर्वरक सिंचाई, एसटीपी की कार्य प्रणाली और आगरा में उपचारात्मक परियोजनाओं से सम्बंधित रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा गया है।

Amarujala delhi 13.4.23

been injured by tigers ... wild boars and nilgai there," he added.

NGT directs UP govt to ensure remedial action

TIMES NEWS NETWORK

Agra: The National Green Tribunal (NGT) has directed the chief secretary of Uttar Pradesh, in coordination with other concerned authorities in the state, to take remedial action in matters pertaining to pollution of river Yamuna in Mathura and Agra.

YAMUNA POLLUTION

The NGT was hearing two applications on pollution of the river in Mathura and Agra filed by environment activists Rajesh Pareek and Sanjay Kulshrestha, respectively.

The applications alleged discharge of untreated sewage in Yamuna in Mathura and pollution of the river in Agra by local authorities and private businesses or commercial establishments.

A bench of chairperson justice A K Goel noted in pursuance of the tribunal's earlier orders, the state pollution control board (PCB) had filed separate reports acknowledging the pollution of river Yamuna in Mathura and the discharge of 131 million litres per day (MLD) of untreated sewage in it and failure of the authorities to take necessary remedial action in Agra.

The bench, also comprising judicial member Justice Sudhir Agarwal and expert members A Senthil Vel and Afroz Ahmad, noted the untapped drains and discharge of untreated sewage into the river in Mathura and said there were "huge gaps and deficiencies in sewage management" in Agra.

According to the assessment, there were three untapped or partially tapped drains in Mathura, while two of the 13 drains in Vrindavan remained untapped, and there was no timetable for intercepting such drains. The tribunal directed the state's chief secretary to ensure remedial action in the two cities by convening a meeting with the officers concerned within a month. It has scheduled next hearing on Aug 23 and has sought action-taken reports within four months.

TOI agra 13.4.23

चिंताजनक | कैलाश से ताज तक आते-आते नाला बन जाती है नदी, पीने की छोड़िए, खेती के लायक भी नहीं रहा यमुना जल

यमुना के पानी से नहाना भी खतरनाक

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। ताजनगरी की यमुना का पानी पीने लायक तो छोड़िए। नहाने के काबिल भी नहीं है। विज्ञानियों की मानें तो इससे अब खेती-किसानी करना भी ठीक नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि नदी ताजमहल के पीछे ही सबसे ज्यादा मैली है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार यमुना जल की मानीटरिंग कर रहा है। अपस्ट्रीम कैलाश और डाउनस्ट्रीम ताजमहल के पीछे पानी के नमूने लिए जाते हैं। हमेशा ताजमहल के पीछे ही यमुना सबसे मैली पाई जाती है। नदी को शुद्ध करने के लिए करोड़ों रुपयों की योजनाएं बनीं, खजाना फूंक दिया गया लेकिन यह हालत लगातार बनी हुई है। पानी साफ होने की बजाए अधिक गंदा होता जा रहा है।

मानकों से कई गुना गंदी नदी: बीओडी तीन मिलीग्राम से कम होना चाहिए। जबकि यह 9.2 मिग्रा तक जा रहा है। फीकल कालीफार्म 5000 से कम होने चाहिए। जबकि यह 14000 तक पहुंच रहे हैं। इसी तरह शुद्ध पानी की पीएच वैल्यू 7.0 से कम होनी चाहिए। यह हर स्थान पर अधिक पाया गया है।

आगरा में यमुना नदी में फैली गंदगी, प्लास्टिक पालिथीन आदि। • हिन्दुस्तान

> प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ कई विभागों ने यमुना जल पर संयुक्त अध्ययन के बाद एनजीटी को रिपोर्ट भेजी थी। इसकी सुनवाई मार्च में होनी थी। संभवत: यह उसी की नतीजा हो सकता है। अभी हमारे पास आदेश की प्रति नहीं आई है।
>
> विश्वनाथ शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी यूपीपीसीबी।

यमुना में सीधे गिर रहे 61 नाले

यमुना में प्रदूषण की मात्रा तो अधिक है ही लेकिन आगरा में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। सिकंदरा से लेकर ताजमहल तक नदी प्रवाह लगभग समाप्त हो जाता है और गंदगी, प्लास्टिक, पालिथीन और सिल्ट की भरमार हो जाती है। इसकी बड़ी वजह से यह है कि यमुना एक्शन प्लान के तहत हुए करोड़ों रुपये के काम के बावजूद शहर में करीब 61 नाले हैं जो सीधे नदी में गिर रहे हैं। जल निगम और जलकल विभाग के मुताबिक शहर में करीब 22 नालों को टैप कर दिया गया है। इनका पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से शोधित होने के बाद आगे जाता है।

Hindustan agra 12.4.23

मथुरा, आगरा में यमुना प्रदूषण पर कार्रवाई करें

- एनजीटी ने यूपी के मुख्य सचिव को दिया निर्देश
- यमुना प्रदूषण पर दायर की गई थीं दो याचिकाएं

आगरा/नई दिल्ली, हि.टी.। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को मथुरा और आगरा में यमुना नदी के प्रदूषण से संबंधित मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

एनजीटी मथुरा और आगरा में नदी के प्रदूषण से संबंधित दो अर्जियों पर सुनवाई कर रहा था। आवेदनों में स्थानीय अधिकारियों और निजी व्यवसायों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा मथुरा में यमुना में अनुपचारित सीवेज और आगरा में नदी के प्रदूषण का आरोप लगाया गया था।

चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की पीठ ने ट्रिब्यूनल के पहले के आदेशों के अनुसरण में कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीसीबी) ने मथुरा में यमुना नदी के प्रदूषण को स्वीकार करते हुए अलग-अलग रिपोर्ट दायर की थी। पीठ, जिसमें न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल और अफरोज अहमद भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मथुरा बहुत महत्वपूर्ण विरासत वाला शहर है, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, विशेष रूप से वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि जमीन पर पर्याप्त परिणाम के बिना इस उद्देश्य के लिए भारी धनराशि आवंटित की गई है।

Hindustan agra 12.4.23